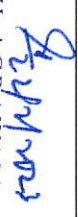


भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	सीधी एवं सिंगरौली जिले में सीवा—सीधी—सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:- 22 / 02 / 2023
स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal